प्रकरण संख्या 14/2025
अनवान बनाम सुखपाल सिह

10.3.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता स्वंय हाजिर आये व राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृति का कथन किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल है। मुताबिक राजीनामा चक 15 एमजेडी प.न. 122/175 मु.न. 51 किला नं. 3/2 मे से 0.010 उत्तरी व 3/1/0.003 उत्तरी, किला नं. 4/1 मे से 0.013 उत्तरी, किला नं. 5/3 मे से 0.013 उत्तरी दोनो पक्षों के नाम उक्त किलो मे से पूर्व–पश्चिम लम्बा उत्तरी दिशा में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता अंकित करने तथा इसके प्रतिकर के रूप में चक 15 एमजेडी के प. न. 122/175 मु.न. 51 किला नं. 4/1 मे से 0.013 दक्षिणी किला नं. 5/3 मे से 0.013 दक्षिणी भूमि प्रार्थीया हरवंश कौर की कम करके सुंखपाल सिह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश से यदि राज्यहित प्रभावित नही हो तो उक्त मंजूरशुद्दा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को अलग से पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 10.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner